राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजूकेशन एण्ड मैनेजमेंट (राइसेम), जयपुर

नोट

स्थापना :–

राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजूकेशन एण्ड मैनेजमेंट (राइसेम) का गठन राजस्थान सोसायटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत वर्ष 1990 में सहकारिता क्षेत्र में सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए एक उपयोगी एवं दृढ़ संकल्पित प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में किया गया है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य सतत् परिवर्तनीय आर्थिक, बैंकिंग कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों से संबंधित चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता से संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें नवीन चुनौतियों के अनुरूप सहकारिता की महत्ता/प्रासंगिकता को बनाये रखने हेतु प्रशिक्षित करने के साथ ही सहकारिता आन्दोलन की उत्तरोत्तर प्रगति की दृष्टि से व्यावसायिक प्रबन्धक एवं दक्ष कार्मिक वर्ग को तैयार करना है। राइसेम साल दर साल इन उद्देश्यों की पूर्ति में प्रगति कर रहा है।

राइसेम प्रबन्धन :– प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता संस्था के अध्यक्ष हैं। रजिस्ट्रार, सहकारिता, उपाध्यक्ष हैं एवं विभिन्न शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रमुख राइसेम की "Governing Body" के सदस्य हैं। विभाग के सीनियर अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी राइसेम के निदेशक हैं। उक्त के अतिरिक्त विभागीय अधिकारी एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राइसेम के दैनिक प्रबन्धक का कार्य किया जाता है।

राइसेम परिसर :– जयपुर के झालाना संस्थागत क्षेत्र में स्थित संस्थान के मुख्य परिसर में कुल 8 सुसज्जित प्रशिक्षण कक्ष हैं जिनमें 2 कान्फ्रेंस हॉल, 2 कम्प्यूटर लैब/क्लासरूम व 4 अन्य प्रशिक्षण क्लासरूम हैं। संस्थान में एक पुस्तकालय मय रीडिंगरूम हैं। संस्थान के छात्रावास परिसर "निलयम" में 43 वातानुकूलित कमरे एवं एक डोरमैट्री है, छात्रावास में कुल 114 प्रशिक्षुओं के आवास की क्षमता है। छात्रावास में डायनिंग हॉल एवं मैस संचालित है तथा प्रशिक्षुओं हेतु मिनि जिमनेजियम भी स्थापित है।

गतिविधियां :– वर्तमान में राज्य जिला एवं खण्डीय स्तर की 102 सहकारी संस्थायें राइसेम की सदस्य है। राइसेम में सहकारी विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारीगण/कर्मचारीगण तथा निर्वाचित पदाधिकारीगण को सहकारिता से संबंधित समस्त विषयों एवं सामान्य प्रबन्धन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राइसेम के माध्यम से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान के फलस्वरूप आज यह संस्थान न केवल सहकारिता क्षेत्र में बल्कि राज्य के अन्य संस्थान द्वारा अन्य राजकीय विभागों, निगमों, निकायों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को उनसे संबंधित विषयों एवं सामान्य प्रबन्धन पर भी समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। गत वर्षों में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देश पर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयनित अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्य भी एच.सी.एम. रीपा के सहयोगी संस्था के रूप में किया जा रहा है। राइसेम द्वारा मानव संसाधन विकास के संबंध में प्रशिक्षण, शोध एवं परामर्श भी दिया जाता रहा है। साथ ही आज जिलों में ICDP के प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम भी इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इसमें वर्तमान में (2016) सवाईमाधोपुर, टोंक, झालावाड, अलवर, करौली जिलों की DPR तैयार करवायी गयी है तथा NCDC को प्रेषित की जा चुकी है।

संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु आधुनिक तकनिकों यथा ऑडियो–विज्युअल, एलसीडी प्रोजेक्टर, ओएचपी आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ योगा, आर्ट ऑफ लिविंग आदि की क्लासेज से भी लाभान्वित किया जाता है। साथ ही एजुकेशनल एवं मोटिवेशनल फिल्मों के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों के दृष्टिकोण को व्यापक करने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं प्रशिक्षणार्थियों को नवीन सूचना प्राद्यौगिकी तकनीकों में भी पारंगत किया जा रहा है।

राइसेम की प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियां 4 चैनलों के माध्यम से सम्पादित की जाती हैः–

1. क्रेडिट चैनल प्रशिक्षण कार्यक्रम (नाबार्ड, अपैक्स बैंक, एसएलडीबी द्वारा वित्त पोषित)
2. सामान्य चैनल प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. शिक्षा एवं प्रशिक्षण निधि के अन्तर्गत कार्यक्रम
4. आईसीडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम

उक्त के अतिरिक्त राइसेम द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न निगमों, बोर्डो, संस्थाओं व विभागों आदि के लिए उनकी आवश्यकतानुरूप विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते है जिनका प्रशिक्षण शुल्क संबंधित संस्थाओं से लिया जाता है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित राज्य/अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों के लिये आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम ओ.टी.एस. द्वारा आयेाजित किये जाते है। गत वर्षों में ओटीएस द्वारा चार आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम राइसेम को दिए जिन्हे भी राइसेम ने सफलता पूर्वक आयोजित किये हैं। उक्त के अतिरिक्त राज्य सहकारी सेवा एवं राज्य वाणिज्य कर सेवा के लिये विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी राइसेम द्वारा आयेाजित किये जाते है।

वर्ष 2015–16 में राइसेम द्वारा राज्य सेवा का 105 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया। इसी क्रम में राज्य सहकारी सेवा के एक माह का संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया।

इसी क्रम में वर्ष 2017–18 में राइसेम की निम्नानुसार उपलब्धियां रही :–

1. Institutional Course of JCTOs
2. Training on GST for officers of Commercial Taxes
3. Medicinal Plants Course for PACS & LAMPS Managers

राइसेम द्वारा गत वर्षो में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

राइसेम द्वारा सामान्य बैंकिंग, मानव संसाधन विकास, व्यक्तित्व विकास, परियोजना प्रबन्धन, आजीविका स्वयं सहायता समूह, कम्प्यूटर अवैयरनेस प्रोग्राम, सहकारी कानून, डेयरी विकास, कार्यालय प्रबन्धन, तनाव प्रबन्धन, व्यवसाय विविधिकरण एवं मार्केटिंग प्रबन्धन, महिला सहकारी समितियॉ, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, आईसीडीपी कार्यक्रम, गुणवत्ता सुधार एवं व्यवसाय वृद्धि आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किये जाते है ।

राइसेम द्वारा विगत पांच वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	सेमीनार/वर्कशाप	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
2013–2014	–	111	2725
2014–2015	–	119	3477
2015–2016	–	86	3750
2016–2017	–	105	3764
2017–2018	2	95	4436
2018–19 अगस्त, 2018 तक	–	17	446

राइसेम द्वारा पैक्स व्यवस्थापकों हेतु जिला मुख्यालयों पर व्यवसाय विविधिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में राइसेम संकाय सदस्यों द्वारा 32 फील्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें कुल 3256 व्यवस्थापकों को लाभान्वित किया गया।

राइसेम द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सक्षम बनाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समितियों पर आर्थिक प्रभाव, पंजाब व हरियाणा की विपणन समितियों पर अध्ययन के साथ–साथ केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की ऋण प्रक्रिया के सरलीकरण पर अध्ययन, फसली ऋण वितरण के अन्तर्गत प्रचलित गंगानगर पद्धति पर अध्ययन, नकद ऋण भुगतान योजना का मूल्यांकन, एकमुश्त समझौता योजना, ओटीएस प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन आदि अध्ययन कार्य सम्पादित किये गये है।

गत दो व गतगत वर्षो की अन्य उपलब्धियाँ एवं गतिविधियॉ

- सहकारी विभाग ने राइसेम को सहकारी बैंकों में भर्ती हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया हुआ है। वर्ष वर्ष 2014–15 के दौरान संस्था ने नोडल एजेन्सी के रूप में निम्नांकित बैंकों के लिए विभिन्न पदों के चयन हेतु सीधी भर्ती परीक्षा का कार्य किया गया ।

वर्ष 2014–15

बैंक का नाम	वरिष्ठ मैनेजर	कम्पयूटर प्रोग्रमर	बैकिंग मैनेजर	बैकिंग सहायक	कुल
शीर्ष एवं विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंक	**6**	**17**	**118**	**472**	**613**

वर्ष 2017–18

1. Computer Skill Test for Sr Manager, Manager, Computer Programmer and Banking Assistant.

- राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के अन्तर्गत सहकारी बैंक और अन्य सहकारी संस्थाओं की भर्ती, पैक्स स्क्रीनिंग आदि का कार्य राइसेम द्वारा सहकारी भर्ती बोर्ड की सहयोगी संस्था के रूप में सम्पादित किया जा रहा है।
- सहकार भवन, कोटा में "Prevention for Sexual Harassment of Woman at work place Act 2013" विषय पर कार्यशाला दिनांक 21.02.2018 को आयोजित की गई, जिसमें 57 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भाग लिया गया।
- सहकारी विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों हेतु सहकारी संस्थाओं के अध्ययन के उद्देश्य से गुजरात एक्सपोजर विजिट दिनांक 18.12.2017 से 24.12.2017 तक किया गया, जिसमें 24 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भाग लिया गया तथा सहकारी विभाग के अधिकारियों हेतु सहकारी संस्थाओं के अध्ययन के उद्देश्य से वारणानगर, (कोल्हापुर) महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट दिनांक 15.01.2018 से 24.01.2018 तक किया गया, जिसमें 25 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भाग लिया गया।
- महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति कार्यशाला :– 14 फरवरी, 2018 में राइसेम द्वारा प्रदेश की समस्त महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों हेतु राजीविका, IFFDC, NCDC, अपैक्स बैंक एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 200 से अधिक

महिला समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा सार्थक चर्चा कर समितियों के कडीबंधन व वित्तिय सुदृढीकरण हेतु निर्णय लिया गया।

- ❖ महिला सर्वांगीण विकास के अन्तर्गत "महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों के गठन के सम्बन्ध में" नियुक्त इकाई नोडल अधिकारियों के लिए ओरएन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया।
- ❖ ICDP द्वितीय चरण के अन्तर्गत NCDC द्वारा राइसेम को कन्सलटेंट नियुक्त किया गया तथा तदनुसार वर्ष 2018 में सवाईमाधोपुर, टोंक, झालावाड, अलवर, करौली जिलों की DPR तैयार करवायी गयी है तथा SLCC द्वारा अनुमोदित करवाकर NCDC को प्रेषित की गई।
- ❖ वर्ष 2009 में इन्टरनेशनल कापरेटिव एलायंस के साथ सहयोग कर 'ट्यूरिज्म थ्रो कापरेटिव' पर अंतराष्ट्रीय स्तर का दो दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया जिसमें 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- ❖ वर्ष 2012–13 में 06 जुलाई, 2013 को 91वें अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को एक सम्मेलन का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में बिडला ऑडिटोरियम, जयपुर में किया गया जिसमें लगभग 1100 किसानों एवं सहकारिता कर्मियों ने भाग लिया।
- ❖ सहकारी विभाग के निर्देशानुसार जयपुर जिले की विभिन्न समितियों से सम्पर्क कर 2000 से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन करवाने में राइसेम की अहम भूमिका रही है जिन्हें अब जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वित्त पोषण कर आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान किया जा रहा है।
- ❖ राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (नियाम), जयपुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण भण्डारण योजना के अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण हेतु राइसेम को नोडल एजेन्सी बनाया है। इसके अन्तर्गत गत वर्ष लगभग 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों हेतु विभिन्न जिलों में लगाये गये ताकि वे ग्रामीण क्षेत्र में अपनी एवं आस–पडौस के कृषकों की उपज के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण करवा सकें। इस वर्ष भी इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है।

<u>प्रशिक्षण संस्थान की भावी योजनाऐं :–</u>

1. Business Development Resource Person (BDRP) :- राज्य में कार्यरत पैक्स/लैम्पस के व्यवसाय विविधिकरण एवं नवाचार आरम्भ करने के लिए 3 संस्थाओं GVT, IFFDC , एवं मंजरी फाउण्डेशन के सहयोग से राइसेम द्वारा प्रदेश के 20 जिलों के दो उत्कृष्ट समितियों के संचालक मण्डल के सदस्यों एवं व्यवस्थापकों को फील्ड प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।
2. Bankers Institute of Rural Development (Bird), Lucknow. Centre for Professional Excellence in Cooperatives (CPEC) द्वारा क्रेडिट चैनल हेतु वर्ष 2018–19 में अनुमोदित नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
3. महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति, धौलपुर की महिला सदस्यों का माह मई, 2018 में वारणानगर, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) एक्सपोजर विजिट।
4. वर्ष 2018–19 में राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के अन्तर्गत सहकारी बैंक और अन्य सहकारी संस्थाओं की भर्ती, पैक्स स्क्रीनिंग आदि का कार्य राइसेम द्वारा सहकारी भर्ती बोर्ड की सहयोगी संस्था के रूप में सम्पादित किया जावेगा।

राइसेम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सदस्य

क्र.सं.	संस्था पद	पदनाम
1.	अध्यक्ष	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2.	उपाध्यक्ष	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर
3.	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि., जयपुर
4.	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर
5.	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर
6.	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर
7.	सदस्य सचिव	निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान, जयपुर